संख्याः 138 /XXX(2)/20/30(13)/2017

प्रेषक,

ओम प्रकाश
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी)/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।**
2. **मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाँऊ मण्डल/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।**
3. **समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।**

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक 24 मई, 2021**

विषयः वर्ष 2021–22 में वार्षिक स्थानान्तरण सत्र को शून्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाने की व्यवस्था की गई है। इस सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु शासनादेश संख्या–44(1)**XXX-2**/2021/30(11)2018 दिनांक 19.02.2021 द्वारा वित्तीय दृष्टिकोण से प्रत्येक संवर्ग के 10 प्रतिशत अथवा चुनावी आचार संहिता के अनुरूप वांछित स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। वर्तमान में राज्य में कोविड–19 के संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि होने के दृष्टिगत राज्य के अधिकांश जिले कोविड कर्फ्यू की स्थिति में है। उपरोक्त परिस्थिति में राज्य की आर्थिक गतिविधियां बन्द होने के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कोविड–19 महामारी घोषित है, ऐसी दशा में कार्मिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा आदि किये जाने पर संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहेगी।

2– अतः कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 19.02.2021 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन सेवाओं में स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधान लागू हैं, उन सेवाओं हेतु (निर्वाचन आचार संहिता एवं प्रशासनिक कारणों को छोड़कर) वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2021–22 को शून्य किया जाता है।

.......2

3– उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि स्थानान्तरण अधिनियम से आच्छादित किसी अधिकारी/कर्मचारी अथवा विभाग को किसी प्रकार की कठिनाई होने पर अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुरूप धारा–27 के अन्तर्गत उक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव स्थानान्तरण समिति के विचारार्थ कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराया जा सकता है।

भवदीय

Om Prakash

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

संख्याः / XXX(2)/20/30(13)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर। गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव